Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवानः– रोमित आदि बनाम बीरबल उर्फ बृजलाल आदि

धारा :– 88,53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्याः– 218 / 2019

23.7.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
22.7.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9.8.2019 को पेश हो।	
	9-8-19 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होकर प्राप्त नहीं हुए पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 22-8-19 को पेश हो।	
	22-8-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19-9-19 को पेश हो।	
	11-9-2019 उभयपक्ष द्वारा निवेदन करने पर पत्रावली को पेशी पर लिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अमरीक सिंह वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते जवाब व [illegible] दिनांक पूर्व निर्धारित दिनांक 19-9-19 को पेश हो।	

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

19-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पेशकार उपस्थित जवाब स्टेट हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 23-9-19 को पेश हो।

23-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पेशकार उपस्थित जवाब स्टेट पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णयानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

27-9-19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 23-9-19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई है।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 218/2019 अनवान रोमित बनाम बीरबल उर्फ बृजलाल)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 218/2019

1 रोमित पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गोरांग पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
3 पुलकित सहारण पुत्र के.सी. सहारण पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तससील व जिला बीकानेर।
4 राहुल सहारण पुत्र कृष्णलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 रजीराम पुत्र बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कृष्णलाल पुत्र बीबरल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 चन्द्रकला पत्नी मदनलाल पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5 ज्यानी देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 संदीप पुत्र स्व. सुमित्रा पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7 विनोद पुत्र स्व. सुमित्रा पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8 भावना पुत्री कृष्णलाल पुत्र बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 ओ.बी.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मैनावाली तहसील हनुमानगढ़।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 10

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 23.9.19

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे 10.387 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 सम्वत 2073 से 2076 हमराह पेश है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को वर्थ राईट हासिल है चूंकि अब उक्त वर्णित हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो गया है तो हम वादीगण व प्रतिवादीगण ने अन्य सम्पतियो के साथ अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि का घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया। मुताबिक पारिवारिक समझौता प्रतिवादी संख्या 1 को स्वयं के नाम दर्ज वाके चक 1 एम. डबल्यू.एम. मे व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अन्य चकों मे स्वयं के नाम दर्ज भूमि प्राप्त हुई है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 9 ने पारिवारिक समझौते मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि हम वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है प्रतिवादीया संख्या 4 ता 9 के हक त्याग करने के पश्चात् हम वादीगण संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 10.387 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि मे से 1.607 हैक्टर व हम वादीगण संख्या 3 व 4 को 8.780 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण हम वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है अतः हम वादीगण घोषणा इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाके 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10.387 हैक्टर भूमि मे हम वादीगण संख्या 1 व 2 1.607 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के व हम वादीगण संख्या 3 व 4 8.780 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावें।

हम वादीगण का आपस मे संयुक्त खाता है इसलिए हम वादीगण के मध्य सींव बट रकम राज आदि को लेकर मन मुटाव व विवाद रहता है। अतः हम वादीगण संख्या 1 व 2 मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 पत्थर नम्बर 129/363 मुरबा नम्बर 7 किला नम्बर 21/2/.164 पत्थर नम्बर 128/363 मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 16, 17, 18, 23/2, 24/2, 25 प्रत्येक .228 हैक्टर भूमि का खाता अलग से कायम करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से उनके हक हिस्सा अनुसार घोषणा करवाने व बंटवारा अनुसार खाता तकसीम कराने का कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे आज से करीब 10 रोज पूर्व मुकाम जोरावरपुरा मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाके 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10.387 हैक्टर भूमि मे हम वादीगण संख्या 1 व 2 1.607 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के व हम वादीगण संख्या 3 व 4 8.780 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) वाद की चरण संख्या 5 मे वर्णित निम्नानुसार घरू बंटवारा मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे :– चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 पत्थर नम्बर 129/363 मुरबा नम्बर 7 किला नम्बर 21/2/.164 पत्थर नम्बर 128/363 मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 16, 17, 18, 23/2, 24/2, 25 प्रत्येक .228 हैक्टर।

(ग) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

(4)

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 11.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के वाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 में 10.387 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को वर्थ राईट हासिल है चूंकि अब उक्त वर्णित हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो गया है तो हम वादीगण व प्रतिवादीगण ने अन्य सम्पतियो के साथ अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि का घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया। मुताविक पारिवारिक समझौता प्रतिवादी संख्या 1 को स्वयं के नाम दर्ज वाके चक 1 एम.डबल्यू.एम. मे व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अन्य चकों मे स्वयं के नाम दर्ज भूमि प्राप्त हुई है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 9 ने पारिवारिक समझौते मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है प्रतिवादीया संख्या 4 ता 9 के हक त्याग करने के पश्चात् वादीगण संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 10.387 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि मे से 1.607 हैक्टर व वादीगण संख्या 3 व 4 को 3.780 है। भूमि प्राप्त हुई है मुताविक राजीनामा वाके 8 एम. डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10.387 हैक्टर भूमि मे वादीगण संख्या 1 व 2 1.607 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के व वादीगण संख्या 3 व 4 8.780 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 पत्थर नम्बर 129/363 मुरबा नम्बर 7 किला नम्बर 21/2/.164 पत्थर नम्बर 128/363 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 16, 17, 18, 23/2, 24/2, 25 प्रत्येक 228 हैक्टर कुल 1.607 का खाता तकसीम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नही है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताविक राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान पूर्णतया सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 10 की और से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् वंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम के नाम चक चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे 10.387 भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पोत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Web Copy Not Official

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम के नाम चक चक 8 एम. डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे 10.387 भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **" वादी संख्या 1 व 2 को 1.607 हैक्टर, वादीगण संख्या 3 व 4 को 8.780 हैक्टर का खातेदार"** घोषित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 की 1.607 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1 वादी संख्या 1 रोमित पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ तथा वादी संख्या 2 गोरांग पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि :–

लगातार 5

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(6)

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
8 एम.डब्ल्यू. एम.	26/19	129/363 (7)	21/2/.164,	0.164 हैक्टर
		128/363 (8)	16, 17, 18, सालम 23/2, 24/2, 25 प्रत्येक .228	1.443 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.607 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 218/2019

1 रोमित पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गोरांग पुत्र रजीराम पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
3 पुलकित सहारण पुत्र के.सी. सहारण पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन बीकानेर तससील व जिला बीकानेर।
4 राहुल सहारण पुत्र कृष्णलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 रजीराम पुत्र बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कृष्णलाल पुत्र बीबरल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 चन्द्रकला पत्नी मदनलाल पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5 ज्यानी देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 संदीप पुत्र स्व. सुमित्रा पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7 विनोद पुत्र स्व. सुमित्रा पुत्री बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8 भावना पुत्री कृष्णलाल पुत्र बीरबल उर्फ बृजलाल जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 ओ.बी.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मैनावाली तहसील हनुमानगढ़।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 27.9.19

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 10 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 27.9.19. को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(8)

(राजस्व वाद संख्या :– 218/2019 अनवान रोमित बनाम बीरबल उर्फ बृजलाल)

2

अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम के नाम चक चक 8 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 26/19 मे 10.387 भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"बीरबल उर्फ बृजलाल पुत्र रतीराम रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **" वादी संख्या 1 व 2 को 1.607 हैक्टर, वादीगण संख्या 3 व 4 को 8.780 हैक्टर का खातेदार"** घोषित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 की 1.607 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1 वादी संख्या 1 रोमित पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ तथा वादी संख्या 2 गोरांग पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
8 एम.डब्ल्यू. एम.	26/19	129/363 (7)	21/2/.164,	0.164 हैक्टर
		128/363 (8)	16, 17, 18, सालम 23/2, 24/2, 25 प्रत्येक .228	1.443 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.607 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 27/9/19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 19:11:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: